UPKS010020962026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कौशाम्बी।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं0–81/2026

किरन देवी	बनाम	सन्तोष तिवारी आदि। धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. थाना–सराय अकिल, जनपद–कौशाम्बी।

17.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. के कथन इस प्रकार है कि "प्रार्थिनी अनुसूचित जाती की महिला है, जिसकी उपजाति धोबी है। प्रार्थिनी के गाँव में सामान्य वर्ग के लोगों का दबदबा है, जो आये दिन दलित समझकर परेशान करते है। घटना दिनांक–16/05/2026 को समय लगभग 7 बजे शाम को प्रार्थिनी का लड़का मंजय कुमार को गाँव के ही सौरभ तिवारी अपने साथ बाजार रक्सराई ले गया और बाजार से वापस आते समय आपस में कहासुनी हो गई। जब घर में बढ़ाचढ़ाकर अपने घरवालो को बताया जिससे सन्तोष तिवारी व इन्दु तिवारी पुत्रगण स्व० शारदा तिवारी व बदन तिवारी व राजू तिवारी पुत्रगण स्व० मुन्नु तिवारी व राजेन्द्र तिवारी पुत्र झल्लर तिवारी व मंशू तिवारी पुत्रगण बदन तिवारी व सौरभ तिवारी पुत्र सर्वेश तिवारी व अरूण तिवारी पुत्र शेषनारायण तिवारी, सभी लोग एकराय बनाकर उसी दिन समय लगभग 9 बजे रात्रि में लाठी–डण्डा, रॉड से लैश होकर प्रार्थिनी के घर आये और प्रार्थिनी के लड़के को जातिसूचक शब्दो की गाली देते हुए कहे कि कि साले धोबी नीच होकर हमारी बराबरी करते हो। प्रार्थिनी अपने लड़के को डॉटने लगी और उक्त लोगो लोगो से प्रार्थिनी ने कहा कि हम गरीब आदमी है, आप लोगो से लड़ने लायक नही है, उसके बावजूद उपरोक्त लोग जातिसूचक शब्दो की गाली देते हुये मारने के लिए दौड़े तो प्रार्थिनी व प्रार्थिनी का लड़का अपनी जान बचाकर घर के अंदर घुस गये। उक्त लोग भी जान से मारने की नियत से घर में घुसकर जानलेवा हमला किये। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पुत्र के सिर में राड मारे व प्रार्थिनी की बहू बीच बचाव किया तो बुरी तरह से उनको भी मारे पीटे जिससे बेसुध होकर जमीन में गिर पड़ी। मारपीट की चीख–पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग आ गए। बीच–बचाव किया तो प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के लड़के व बहु की जान बची। उक्त लोग गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुये चले गए तब गंभीर हालात देखकर जल्दी–2 दोपहिया मोटर साइकिल से लादकर संजीवनी हॉस्पिटल ले गए। थाना में सूचना दिये तो थाना पुलिस वालो ने कहा कि पहले इलाज करवाओ गंभीर हालत में भर्ती करने के बाद थाने में सूचना दिए तो बीपी सिंह दरोगा जी हॉस्पिटल में देखने गए, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही किये। दरोगा जी उल्टा प्रार्थी के विरूद्ध ही धारा 135 व 126 बी०एन०एस०एस० की कार्यवाही कर दी, जिससे विपक्षीगणो के हौसले काफी बुलन्द है। प्रार्थिनी की जब थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई तब प्रार्थिनी ने स्वयं उपस्थित होकर एवं जरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी व उच्चाधिकारियों को दिनांक–19.05.2026 को सूचना दिया

परन्तु उस पर भी कार्यवाहीं नहीं हुई। इन्हीं आधारों पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष को विवेचना सम्पादित करने हेतु प्रार्थना की गयी है।

प्रस्तुत मामले में सम्बन्धित थाने से प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या आहूत की गयी। थाना की आख्या के अनुसार प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र में दर्शित तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किये जाने का प्रकटन नहीं होता है। पुलिस द्वारा विवेचना के आधार पर किसी तथ्य का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जोसफ मथूरी व अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी व अन्य 2003 (3) क्राइम्स 384(सुप्रीम कोर्ट), माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (59) ए. सी.सी. 739** तथा **रामबाबू गुप्ता एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2001 (43) ए.सी.सी. 50** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में व मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर विधिक कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी किरन देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली दिनाँक 20.08.2026 को परिवादिनी का बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दर्ज होने हेतु पेश हो।

(अमित मालवीय)
विशेष न्यायाधीश/
एस.सी./एस.टी.एक्ट,कौशाम्बी।
I.D.NO-U.P.6214

Digitally signed by AMIT MALAVIYA
Date: 2026.06.17 16:46:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court